

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

1. निम्नलिखित पदों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

पद कूट/कोड	पद का नाम एवं वेतन स्तर	पोस्ट का समूह	अधिकतम आयु (वर्षों में)	वर्तमान/ बैकलॉग	अना	अपिव (एनसीएल)	अजा	अजजा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल रिक्तियाँ #	बैचमार्क दिव्यांग व्यक्ति*
1/25	उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) स्तर-10 (₹56,100-1,77,500)	क	30	वर्तमान	5	2	1	1	-	9	1
2/25	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक स्तर -6 (₹35,400-1,12,400)	ख	30	वर्तमान	1	-	-	-	-	1	
3/25	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी स्तर -6 (₹35,400-1,12,400)		30	वर्तमान	1	-	-	-	-	1	
4/25	लेखाकार स्तर -5 (₹29,200-92,300)	ग	30	वर्तमान	12	7	4	2	4	42	2
				बैकलॉग	-	-	9	4	-		
5/25	आशुलिपिक स्तर -4 (₹25,500-81,100)	ग	28	वर्तमान	5	3	2	-	1	31	2
				बैकलॉग	-	11	6	3	-		

- नोट: प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग; एनसीएल: नॉन-क्रीमी लेयर; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर: अनारक्षित; पीडब्ल्यूबीडी : बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति।

* बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित पदों की संख्या निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	पोस्ट का समूह	पद का नाम	दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या	बेंचमार्क दिव्यांगताओं की श्रेणी
1.	समूह-क	उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	01	01 पद बेंचमार्क दिव्यांगता की निम्नलिखित 03 श्रेणियों में से किसी एक द्वारा भरा जाएगा: पहली श्रेणी i) दृष्टिहीन (बी) / अल्प दृष्टि (एलवी) तीसरी श्रेणी (iii) एक हाथ (ओए) / दोनों हाथ (बीए) / एक पांव (ओएल) / दोनों पांव (बीएल) / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) / कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडब्ल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) / मस्कुलर डिस्ट्राफी (एमडीवी) चौथी श्रेणी (iv) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) (एम-हल्का) (v) बहु-दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक की एक से अधिक मानक दिव्यांगताएँ शामिल हों
2.	समूह-ग	लेखाकार	02	निम्नलिखित 04 बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में 02 पद भरे जाएँगे, बशर्ते प्रत्येक दिव्यांगता के लिए एक पद आरक्षित हो: प्रथम श्रेणी (i) दृष्टिहीन (बी) / अल्प दृष्टि (एलवी) द्वितीय श्रेणी (ii) बधिर (डी) / ऊँचा सुनने वाला (एचएच)

				तृतीय श्रेणी (iii) एक हाथ (ओए) / दोनों हाथ (बीए) / एक पांव (ओएल) / दोनों पांव (बीएल) / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) / कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडबल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) / मस्कुलर डिस्ट्राफी (एमडीवी) चतुर्थ श्रेणी (iv) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) (एम-हल्का) (v) बहु-दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक की एक से अधिक बेंचमार्क दिव्यांगताएँ शामिल हों
3.	समूह-ग	आशुलिपिक	02	निम्नलिखित 04 बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में 02 पद भरे जाएँगे, बशर्ते प्रत्येक दिव्यांगता के लिए एक पद आरक्षित हो: प्रथम श्रेणी (i) <u>दृष्टिहीन (बी)</u> / अल्प दृष्टि (एलवी) द्वितीय श्रेणी (ii) ऊँचा सुनने वाला (एचएच) तृतीय श्रेणी (iii) एक हाथ (ओए) / दोनों हाथ (बीए) / एक पांव (ओएल) / दोनों पांव (बीएल) / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) / कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडबल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) चतुर्थ श्रेणी (iv) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) (एम-हल्का)/विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी)/मानसिक रोग (एमआई) (v) बहु-दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक की एक से अधिक बेंचमार्क दिव्यांगताएँ शामिल हों

रिक्तियों की कुल संख्या और आरक्षित रिक्तियाँ अनंतिम हैं और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। परिणाम को अंतिम रूप देने के समय विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक/ई-मेल आदि द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवार भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा होना चाहिए। बशर्ते कि नेपाल या भूटान का नागरिक उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

महत्वपूर्ण तिथियां	
समय सीमा	
ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की आरंभिक तिथि	30.10.2025 (10:00 पूर्वाह्न)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	15.12.2025 (06:00 अपराह्न)

नोट:

- सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी, जिसमें विस्तारित तिथि, यदि कोई हो, भी शामिल है।
- ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले, कृपया ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा करने के निर्देशों और ऑनलाइन आवेदन लिंक पर मुख्य निदेश पृष्ठ में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा।
- आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब निर्धारित आवेदन शुल्क (जहाँ भी लागू हो) ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैंक में जमा कर दिया जाएगा।
- सीबीटी और भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों की तिथियां समय-समय पर एनएचआई की आधिकारिक वेबसाइट (<https://nhai.gov.in>) के माध्यम से सूचित की जाएंगी।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित प्रश्न निम्नलिखित टैब/नंबर पर किए जाने चाहिए:-

हेल्पडेस्क टैब	ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में उपलब्ध है
हेल्पडेस्क नंबर	+91-9513252099 सुबह 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक (रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)

2. आरक्षण:-

i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण समय-समय पर जारी भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और संशोधनों आदि के अनुसार लागू होगा।

ii. जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं और आरक्षित श्रेणियों पर लागू अन्य रियायतें चाहते हैं, उन्हें ऐसे आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iii. अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (केवल केंद्रीय सूची के लिए लागू) है और वह निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान जारी अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र [01.04.2025 को या उसके बाद जारी] प्रस्तुत करना होगा।

iv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची के रूप में मान्यता प्राप्त है, स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ तभी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जब वह विशेष जाति, जिससे वह संबंधित है, उस राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल हो।

v. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार, जो बिना किसी छूट वाले मानकों/रियायत (शुल्क को छोड़कर) के अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, उन्हें रिक्तियों के आरक्षित हिस्से में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों में से अलग से भरा जाएगा।

vi. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, विस्तारित विचार क्षेत्र (कट ऑफ़ मार्क्स) आदि जैसे शिथिल मानकों के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में गिना जाएगा, अनारक्षित रिक्तियों में नहीं।

vii. आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तिथि पर राज्य में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि जाति या आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है तो उम्मीदवारी, नियुक्ति के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

viii. एक उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण का लाभ पाने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब उम्मीदवार केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता हो और वित्तीय वर्ष

(एफवाई) 2024-2025 के लिए आय के आधार पर अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र [01.04.2025 को या उसके बाद जारी] रखता हो।

ix. बैचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण:-

क) निम्नलिखित पदों के लिए केवल निम्नलिखित श्रेणियों के दिव्यांगजन उम्मीदवारों को उपयुक्त माना गया है:-

क्र. सं.	पद का नाम	शारीरिक अपेक्षाएं	बैचमार्क दिव्यांगताओं की श्रेणी
1.	उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	बैठना, खड़े होना, झुकना, अंगुलियों द्वारा निष्पादन, पढ़ना और लिखना, देखना, सुनना, वार्तालाप/संप्रेषण	(i) दृष्टिहीन (बी) / अल्प दृष्टि (ii) बधिर (डी) / ऊंचा सुनने वाला (एचएच) (iii) एक हाथ (ओए) / दोनों हाथ (बीए) / एक पांव (ओएल) / दोनों पांव (बीएल) / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) / कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडब्ल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) / मस्कुलर डिस्ट्राफी (एमडीवाई) (iv) ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (एसडी) (एम-हल्का) (v) बहु- दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक एक से अधिक मानक दिव्यांगताएँ शामिल हों
2.	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	बैठना, खड़े होना, घुटने के बल बैठना तथा क्राउचिंग, पढ़ना और लिखना, देखना, सुनना, वार्तालाप/संप्रेषण, अंगुलियों द्वारा निष्पादन	(i) अल्प दृष्टि (एलवी) (ii) बधिर (डी) / ऊंचा सुनने वाला (एचएच) (iii) एक हाथ (ओए) / दोनों हाथ (बीए) / एक पांव (ओएल) / दोनों पांव (बीएल) / दोनों पांव और हाथ (बीएलए) / दोनों पांव एक हाथ (बीएलओए) / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) / कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडब्ल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) (iv) ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (एसडी) (एम-हल्का) / विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) (एमआई- मानसिक रोग)

			(v) बहु-दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक की एक से अधिक मानक दिव्यांगताएँ शामिल हों
3.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	बैठना, खड़े होना, चलना, झुकना, पढ़ना और लिखना, देखना, सुनना, वार्तालाप/संप्रेषण, अंगुलियों द्वारा निष्पादन	(i) दृष्टिहीन (बी) अल्पदृष्टि (एलवी) (ii) बधिर (डी)/ ऊँचा सुनने वाला (एचएच) (iii) एक हाथ (ओए) / दोनों हाथ (बीए) / एक पाँव (ओएल)/ एक हाथ एक पाँव (ओएएल)/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी)/ कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडबल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी)/ मस्कुलर डिस्ट्राफी (एमडीवाई) (iv) ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) (एम-हल्का, एमओडी- मध्यम)/ विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) (एमआई- मानसिक रोग) (v) बहु-दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक की एक से अधिक मानक दिव्यांगताएँ शामिल हों
4.	लेखाकार	बैठना, खड़े होना, झुकना, उंगलियों से संचालन, पढ़ना और लिखना, देखना, सुनना, संचार	(i) दृष्टिहीन (बी) अल्पदृष्टि (एलवी) (ii) बधिर (डी) / ऊँचा सुनने वाला (एचएच) (iii) एक हाथ (ओए) / दोनों हाथ (बीए) / एक पाँव (ओएल)/ दोनों पाँव (बीएल) / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी)/ कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडबल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी)/ मस्कुलर डिस्ट्राफी (एमडीवाई) (iv) ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) (एम-हल्का) (v) बहु-दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक एक से अधिक मानक दिव्यांगताएँ शामिल हों
5.	आशुलिपिक	बैठना, खड़े होना, चलना, झुकना, पढ़ना	(i) दृष्टिहीन (बी) अल्पदृष्टि (एलवी)

		और लिखना, देखना, सुनना, संवाद करना	(ii) ऊंचा सुनने वाला (एचएच) (iii) एक हाथ (ओए) / एक पांव (ओएल)/दोनों पांव (बीएल)/एक हाथ एक पांव (ओएएल)/दोनों पांव एक हाथ (बीएलओए)/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी)/ कुष्ठ उपचारित (एलसी) / बौनापन (डीडबल्यू) / तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) (iv) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) (एम-हल्का)/विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी)/मानसिक रोग (एमआई) (v) बहु-दिव्यांगता (एमडी) जिसमें उपरोक्त (i) से (iv) तक की एक से अधिक बेंचमार्क दिव्यांगताएँ शामिल हों
--	--	------------------------------------	---

ख) निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में प्रदान की गई है। आरक्षण के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की डिग्री और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति पदों में शर्तों / आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे जो प्रासंगिक बेंचमार्क दिव्यांगता के 40% से कम नहीं हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (पीडबल्यूबीडी) जिन्होंने छूट और / या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18 (1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा देखें। दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 (जिसे अब निरस्त कर दिया गया है) के अंतर्गत जारी किए गए मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध बने रहेंगे।

ग) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडबल्यूबीडी) संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही पद उनके लिए आरक्षित न हो, लेकिन उन्हें उपयुक्त के रूप में पहचाना गया हो। हालांकि, ऐसे आवेदकों को योग्यता के सामान्य मानक के आधार पर ऐसे पद पर चयन के लिए विचार किया जाएगा। कम से कम 40% प्रासंगिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति ही नियमों के तहत स्वीकार्य आरक्षण और अन्य छूट के लाभ के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार, शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीएच) व्यक्ति नियमों के तहत स्वीकार्य आरक्षण और अन्य रियायतों और छूटों का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब शारीरिक दिव्यांगता की डिग्री 40% या उससे अधिक हो

और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

घ) आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति

के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों/सूचना में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, नियमों/सूचना में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में उनके पास निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए।

3. सेवा बॉण्ड:

(क) प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करते समय, समूह 'क' पद के सभी चयनित उम्मीदवारों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में एनएचएआई में शामिल होने की तिथि से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए सेवा देने हेतु 5.00 लाख रुपये की राशि का सेवा बॉण्ड भरना होगा। बॉण्ड अवधि समाप्त होने से पहले प्राधिकरण की सेवा से इस्तीफा देने या एनएचएआई में शामिल होने के तीन वर्षों के भीतर कदाचार के कारण सेवा समाप्त होने की स्थिति में, ऐसे उम्मीदवारों को एनएचएआई को 5.00 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

(ख) प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करते समय, समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के सभी चयनित उम्मीदवारों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में एनएचएआई में शामिल होने की तिथि से न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि के लिए सेवा देने हेतु 3.00 लाख रुपये की राशि का सेवा बांड भरना होगा। बांड अवधि समाप्त होने से पहले प्राधिकरण की सेवा से त्यागपत्र देने या एनएचएआई में शामिल होने के तीन वर्षों के भीतर कदाचार के कारण सेवा समाप्ति की स्थिति में, ऐसे उम्मीदवारों को एनएचएआई को 3.0 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

(ग) यह स्पष्ट किया जाता है कि एनएचएआई उन चयनित उम्मीदवारों के मामले में सेवा हस्तांतरण बांड स्वीकार नहीं करता है जो किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत हैं। इसलिए, इस संबंध में किसी भी अनुरोध/प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं आयु सीमा:-

पद का नाम	समूह	अनिवार्य योग्यताएं और आयु सीमा
उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	क	अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ: - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित

पद का नाम	समूह	अनिवार्य योग्यताएं और आयु सीमा
		पाठ्यक्रम के माध्यम से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) {एमबीए (वित्त)}। आयु: 30 वर्ष
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	ख	अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ: - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक। आयु: 30 वर्ष
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	ख	अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में। और (ii) हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या केंद्र सरकार के उपक्रमों समेत केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और

पद का नाम	समूह	अनिवार्य योग्यताएं और आयु सीमा
		विलोमतः अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय शैक्षणिक योग्यता -: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान। आयु: 30 वर्ष
लेखाकार	ग	आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ: - i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और ii. चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) में इंटरमीडिएट; या लागत एवं प्रबंधन लेखाकार (सीएमए) में इंटरमीडिएट। आयु: 30 वर्ष
आशुलिपिक	ग	आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का श्रुतलेख (अंग्रेजी या हिंदी) और प्रतिलेखन समय (केवल कंप्यूटर पर) अंग्रेजी के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट होगा। आयु: 28 वर्ष

नोट-1: ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले या जिनका अंतिम परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

नोट-2: शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र/डिग्री में जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों की जारी करने की तिथि अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि सहित समेकित अंकतालिका या प्रत्येक सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा की तिथि सहित सभी सेमेस्टर की अलग-अलग अंकतालिकाएँ जमा करनी होंगी। यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तिथि उपलब्ध न हो, तो संस्थान/विश्वविद्यालय से इस आशय का एक प्रमाणपत्र (परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाते हुए) ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

नोट-3: उम्मीदवार के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय/संस्थान या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित या यूजीसी/एआईसीटीई आदि जैसे संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान से योग्यता होनी चाहिए।

नोट-4: दूरस्थ शिक्षा/अंशकालिक/पत्राचार शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ऐसी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय विश्वविद्यालय/संस्थान को दिया गया यह अनुमोदन भी प्रस्तुत करना होगा कि उपरोक्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा केंद्र सरकार में रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

नोट-5: नोट-4 की शर्त उप-प्रबंधक (एफ एंड ए) के पद पर लागू नहीं होती है जहां निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) {एमबीए (वित्त)} है।

5.1 आयु:-

(i) उम्मीदवार/उम्मीदवारों की आवेदन प्राप्ति की अंतिम/निर्धारित तिथि तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट इस प्रकार है: -

क्र. सं.	व्यक्तियों की श्रेणी	समूह 'ग' पदों के लिए आयु में छूट की सीमा	समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए आयु में छूट की सीमा
(a)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष	
(b)	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष	
4	बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (iii) अनारक्षित/सामान्य	(i) 15 वर्ष (ii) 13 वर्ष (iii) 10 वर्ष	
5	विभागीय उम्मीदवार जिन्होंने एनएचएआई में कम से कम तीन साल की निरंतर नियमित सेवा प्रदान की हो	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष की आयु तक। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष की आयु तक। अनुसूचित	5 वर्ष

		जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष की आयु तक।	
--	--	---	--

5.2 अधिकतम आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, जिसमें विस्तारित तिथि, यदि कोई हो, भी शामिल है।

5.3 उम्मीदवार ध्यान दें कि कक्षा 10वीं/मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या केंद्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा की अंक सूची में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी।

5.4 दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट लागू होगी, चाहे पद आरक्षित हो या नहीं, बशर्ते कि पद संबंधित दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

6. प्रसंस्करण शुल्क: -

अभ्यर्थी को प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से निम्नानुसार करना होगा: -

अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	प्रत्येक पद के लिए प्रसंस्करण शुल्क 500/- रुपये।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /दिव्यांगजन के लिए	शून्य

(क) इसके अतिरिक्त, लागू शुल्क (यदि कोई हो) भी उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, चाहे पद उनके लिए आरक्षित हो या नहीं। हालाँकि, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन श्रेणी का उल्लेख करना होगा और अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि गैर-छूट प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आवेदन अपूर्ण माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) एनएचआई केवल ऑनलाइन माध्यम से शुल्क स्वीकार करेगा। मनीऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ आदि जैसे किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस/समायोजित नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता सत्यापित कर लें।

(ङ) एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शुल्क के साथ एक अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा। हालाँकि, उम्मीदवार ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे क्योंकि किन्हीं दो पदों के लिए परीक्षा (सीबीटी) का कार्यक्रम एक ही हो सकता है।

(च) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क एनएचएआई के पास जमा हो गया है। ऐसे आवेदन जो किसी भी कारण से शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और विज्ञापन में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क भुगतान पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निदेश एवं प्रक्रियाएँ:-

क. सामान्य निदेश:-

(i) ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरना शुरू करने से पहले, उम्मीदवार को अपना वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर की स्कैन की हुई प्रति, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, पात्रता मानदंड (कक्षा 10वीं/मैट्रिकुलेशन के बाद से) के अनुसार अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित विवरण/दस्तावेज और लागू श्रेणी (अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन) से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

(ii) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक ही तस्वीर का उपयोग किया जाए।

(iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा एक बार भर दी गई श्रेणी [सामान्य (अनारक्षित)/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन] में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और किसी अन्य श्रेणी का कोई लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

ख. आवेदन कैसे करें:-

- (i) अभ्यर्थी को यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विवरण भरना होगा।
- (ii) अभ्यर्थी को पंजीकृत ईमेल पते और/या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। विदेशी अभ्यर्थियों को पंजीकृत ईमेल पते पर यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों प्राप्त होंगे।
- (iii) अभ्यर्थी भाराराप्रा के लिए आवेदन पत्र पूरा करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं।
- (iv) अभ्यर्थी को सही नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करना होगा क्योंकि पंजीकरण पूरा होने के बाद इन विवरणों को बदला नहीं जा सकता है।
- (v) इस पद के लिए आवेदन में 2 चरण की प्रक्रिया शामिल है।

चरण - 1-पंजीकरण और प्रोफाइल निर्माण।

चरण - 2-पंजीकृत ईमेल आईडी पर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होने के बाद, आवेदन पत्र पूरा करना और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना।

(vi) दस्तावेज़ अपलोड करना:- पात्रता दस्तावेज़ों, फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई तस्वीरें अपलोड करें। फ़ोटो और हस्ताक्षर केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में और पात्रता दस्तावेज़ जेपीजी/जेपीईजी/पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए। फ़ोटो का आकार 100केबी से 200केबी के बीच या ऑनलाइन पोर्टल में बताए अनुसार होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 80 केबी से 150 केबी के बीच या ऑनलाइन पोर्टल में बताए अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, दस्तावेज़ों का आकार 100 केबी से 1एमबी के बीच या ऑनलाइन पोर्टल में बताए अनुसार होना चाहिए।

(vii) प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान:- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य शुल्क (जीएसटी और प्रोसेसिंग शुल्क) का भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान की गई राशि किसी भी स्थिति/परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी को पेमेंट गेटवे पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आवेदन शुल्क के सफल भुगतान के बाद, अभ्यर्थी भुगतान विवरण सहित पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिंटआउट/डाउनलोड कर सकेंगे। तकनीकी/नेटवर्क त्रुटियों के कारण असफल/एकाधिक/डुप्लिकेट भुगतानों के लिए भाराराप्रा उत्तरदायी नहीं होगा।

(viii) प्रस्तुत आवेदन पत्र का प्रिंट:-

आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को "प्रिंट फॉर्म" बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट पीडीएफ फॉर्म में सेव/प्रिंट कर लेना चाहिए। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास रखें। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं करना चाहिए। किसी एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में केवल अंतिम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तकनीकी प्रश्नों/स्पष्टीकरणों के लिए कृपया आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क करें।

.8प्रतिपूरक समय और स्क्राइब की सहायता का प्रावधान: -

8.1 दृष्टिहीनता, गतिमान दिव्यांगता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में यदि अभ्यर्थी चाहें तो उन्हें स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी।

8.2 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले शेष श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में अनुलग्नक VIII में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है।

8.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या -2019/6-29डीडी-III के अनुसार, %40 से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा अनुलग्नक IX में दिए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी।

8.4 दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को स्क्राइब की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प चुना हो।

8.5 अभ्यर्थी को अपने स्वयं के स्क्राइब का चयन करने या भाराप्रा/भर्ती एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाने का विवेकाधिकार होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उचित विकल्प देना होगा।

8.6 यदि अभ्यर्थी अपने स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनता है, तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक कदम कम होनी चाहिए। स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय अनुलग्नक -X में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त पैरा 8.3 के अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों और स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनने के लिए भी अनुलग्नक -X में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा के समय अपने स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, स्क्राइब को परीक्षा के समय मूल रूप में एक वैध आईडी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के साथ-साथ स्क्राइब के हस्ताक्षर वाले स्क्राइब के आईडी प्रमाण की एक फोटोकॉपी अनुलग्नक -X में दिए गए प्रोफार्मा के साथ जमा की जाएगी।

8.7 यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं स्क्राइब का विकल्प चुनता है, तो उस स्थिति में, वह स्क्राइब इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में किसी अन्य दिव्यांगजन / दिव्यांग अभ्यर्थी की स्क्राइब के रूप में सहायता करता पाया जाता है, तो दोनों अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

8.8 जिन व्यक्तियों को स्क्राइब के उपयोग की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, जैसा कि ऊपर पैरा 8.1, 8.2 और 8.3 में वर्णित है।

8.9 उपर्युक्त पैरा 8.1, 8.2 और 8.3 में उल्लिखित अभ्यर्थी जो स्क्राइब के उपयोग के लिए पात्र हैं, लेकिन स्क्राइब की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

8.10 पात्र अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब के अलावा किसी अन्य परिचारक को परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.11 एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो सामान्य प्रश्नपत्र को आवर्धक लेंस से या उसके बिना पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर लिखना/दिखाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का उपयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें स्क्राइब की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेंस स्वयं लाना होगा।

8.12 जिन बेचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति / दिव्यांग अभ्यर्थियों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें भाराराप्रा द्वारा मांगे जाने पर स्क्राइब/प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उनकी परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

8.13 अभ्यर्थी सीबीटी के दौरान स्क्राइब की ओर से किए गए किसी भी दुर्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

9. परीक्षा की योजना:-

(i) **उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)** : परीक्षा दो स्तरों में अर्थात् सीबीटी और उसके बाद साक्षात्कार होगी। सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को श्रेणीवार रिक्तियों के लिए 1:5 के अनुपात में साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। इस आशय की सूचना यथासमय वेबसाइट "nhai.gov.in" पर अपलोड कर दी जाएगी। परीक्षा की योजना इस प्रकार है:

परीक्षा	परीक्षा के घटक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षा की अवधि
स्तर-I भाग-I	क - तर्कशक्ति परीक्षण/सामान्य मानसिक क्षमता/बुद्धिमत्ता परीक्षा	10	10	02 घंटा
	ख - गणितीय योग्यताएं	10	10	
	ग - सामान्य ज्ञान	10	10	
	ड - सामान्य मौखिक क्षमता - अंग्रेजी भाषा	10	10	
स्तर-I भाग-II	डोमेन विशिष्ट प्रश्न वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, लेखांकन, वित्तीय/लागत लेखांकन, बजट, वार्षिक लेखा, कराधान, लेखा परीक्षा, निवेश और वित्तीय प्रबंधन, स्टोर एवं इन्वेंटरी प्रबंधन, वित्तीय बाजार, बैंकिंग।	80	80	
कुल		120	120	
स्तर- II	साक्षात्कार साक्षात्कार भाराराप्रा द्वारा मौजूदा विनियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।	-	15	-
कुल अंक (सीबीटी + साक्षात्कार)			135	

(ii) पुस्तकालय एवं सूचना सहायक : परीक्षा एक स्तरीय (सीबीटी) होगी। परीक्षा की योजना इस प्रकार है:

परीक्षा	परीक्षा के घटक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षा की अवधि
भाग-I	क - तर्कशक्ति परीक्षण/सामान्य मानसिक क्षमता/बुद्धिमत्ता परीक्षा	15	15	02 घंटा
	ख - गणितीय योग्यताएं	15	15	
	ग - सामान्य ज्ञान	15	15	
	ड - सामान्य मौखिक क्षमता - अंग्रेजी भाषा	15	15	
भाग-II	डोमेन विशिष्ट प्रश्न पुस्तकालय, सूचना और समाज, आधुनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय विधान, पुस्तकालय विकास और नीति, संसाधन साझाकरण और नेटवर्क, पुस्तकालय व्यवसाय, पुस्तकालय प्रबंधन, लाइब्रेरी हाउस कीपिंग संचालन, कम्प्यूटरीकरण/स्वचालन, सॉफ्टवेयर, सूचना सेवा, प्रलेखन केंद्र और सूचना प्रणाली, सूचना स्रोत, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा प्रसंस्करण, संचार के मूल सिद्धांत, संदर्भ सेवा, सूचना प्रसंस्करण (वर्गीकरण), संकेतन प्रणाली, वर्गीकरण योजनाओं में ज्ञान का मानचित्रण, कोलन वर्गीकरण, दस्तावेज वर्गीकरण, विषय सूचीकरण, संग्रह विकास।	60	60	
कुल		120	120	

(iii) कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी : परीक्षा एक स्तरीय (सीबीटी) होगी। परीक्षा की योजना इस प्रकार है:

परीक्षा	परीक्षा के घटक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षा की अवधि
भाग-I	क - सामान्य ज्ञान	20	20	02 घंटा

	ख - तर्कशक्ति परीक्षण/सामान्य मानसिक क्षमता/बुद्धिमत्ता परीक्षा और गणितीय योग्यताएं	20	20	
भाग-II	डोमेन विशिष्ट प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का इतिहास और उसका विकास, लोकप्रिय हिंदी और अंग्रेजी उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना और कविता, हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण और उसके प्रयोग, आधुनिक हिंदी और अंग्रेजी साहित्य और उसका विश्लेषण, अनुवाद की कला और कौशल, तुलनात्मक साहित्य	80	80	
कुल		120	120	

(iv) **लेखाकार** : परीक्षा एक स्तरीय (सीबीटी) होगी। परीक्षा की योजना इस प्रकार है:

परीक्षा	परीक्षा के घटक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षा की अवधि
भाग-I	क - तर्कशक्ति परीक्षण/सामान्य मानसिक क्षमता/बुद्धिमत्ता परीक्षा	10	10	02 घंटा
	ख - गणितीय योग्यताएं	10	10	
	ग - सामान्य ज्ञान	10	10	
	ड - सामान्य मौखिक क्षमता - अंग्रेजी भाषा	10	10	
भाग-II	डोमेन विशिष्ट प्रश्न वित्तीय लेखांकन, लेखांकन मानक, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष - कर प्रबंधन, एमआईएस, लागत निर्धारण तकनीक, लेखा परीक्षा, लागत एवं प्रबंधन लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन विज्ञान, संचालन एवं परियोजना प्रबंधन नियंत्रण, व्यवसाय में कंप्यूटर अनुप्रयोग, सुरक्षा विश्लेषण एवं निवेश प्रबंधन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली आदि।	80	80	
कुल		120	120	

(v) **स्टेनोग्राफर** : दो स्तरीय परीक्षा अर्थात (सीबीटी) और उसके बाद स्टेनोग्राफी में कौशल परीक्षा होगी। परीक्षा की योजना नीचे दी गई है:

स्तर	परीक्षा के घटक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षा की अवधि
स्तर-I	क-तर्कशक्ति परीक्षण/सामान्य मानसिक क्षमता/बुद्धिमत्ता परीक्षा	30	30	02 घंटा
	ख - सामान्य ज्ञान	30	30	
	ग - सामान्य मौखिक क्षमता - अंग्रेजी भाषा	60	60	
	कुल	120	120	
स्तर-II	आशुलिपि में कौशल परीक्षा आशुलिपि (अंग्रेजी या हिंदी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का श्रुतलेख और प्रतिलेखन समय (केवल कंप्यूटर पर) अंग्रेजी के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट होगा।	समय अवधि	उपर्युक्त पैरा 8.1, 8.2 और 8.3 के अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए समय अवधि (मिनटों में)	
	अंग्रेज़ी	50 मिनट	70 मिनट	
	हिंदी	65 मिनट	90 मिनट	

10. उम्मीदवार के चयन और अंतिम चयन के लिए मानदंड: -

i) समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों के लिए

नाम	न्यूनतम योग्यता अंक
सभी समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों के लिए सीबीटी परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक	अनारक्षित - 40% ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस- 35% एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी - 30%
स्टेनोग्राफर के पद के लिए कौशल परीक्षा में अनुमत त्रुटियों का अधिकतम प्रतिशत (अर्थात, न्यूनतम योग्यता मानक)।	अनारक्षित - 7% ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/

कौशल परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन यह केवल अर्हक प्रकृति की है ।	पीडब्ल्यूबीडी - 10%
---	---------------------

नोट 1: जैसा भी मामला हो, भाराराप्रा अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार दूसरे चरण/अंतिम चरण/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्टिंग मानदंड/कट-ऑफ अंक बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट 2 : अंतिम चरण अर्थात् ग्रुप-सी पद के लिए कौशल परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर कट ऑफ अंक का मानदंड विज्ञापित पद के 1:10 के अनुपात में बढ़/घट सकता है।

11. परीक्षा के लिए शहर: सीबीटी निम्नलिखित शहरों में आयोजित किया जाएगा:-

- (i) अहमदाबाद- गांधीनगर
- (ii) बेंगलुरु
- (iii) भोपाल
- (iv) भुवनेश्वर
- (v) चंडीगढ़
- (vi) चेन्नई
- (vii) देहरादून
- (viii) दिल्ली और एनसीआर
- (ix) गंगटोक
- (x) गोवा
- xi) गुवाहाटी
- xii) हैदराबाद
- xiii) जयपुर
- xiv) जम्मू
- xv) कोलकाता
- xvi) लखनऊ
- xvii) मुंबई
- xviii) पटना
- xix) पुडुचेरी
- xx) रायपुर
- xxi) रांची
- xxii) शिमला
- xxiii) श्रीनगर
- xxiv) तिरुवनंतपुरम

xxv) विजयवाड़ा

(नोट: भाराराप्रा किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में चुने गए उपर्युक्त शहरों में से किसी को भी बाद में तार्किक कारणों से बदलने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसे उसके द्वारा चुने गए शहरों में से कोई अन्य शहर या ऊपर बताए गए शहरों में से कोई अन्य शहर आवंटित कर सकता है)।

(i) परीक्षा के शहरों/केंद्रों का निर्धारण अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत वरीयताओं/विकल्पों और चुने गए स्टेशन/शहर के लिए पर्याप्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता है। यद्यपि अभ्यर्थी द्वारा चुने गए शहरों में से किसी एक में केंद्र आवंटित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, फिर भी भाराराप्रा भारत में कहीं भी अभ्यर्थी की पसंद के शहर के अलावा किसी अन्य शहर में केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थियों की संख्या और अन्य बाध्यताओं के आधार पर भाराराप्रा को सभी शहरों या किसी एक शहर या किसी अन्य शहर में परीक्षा आयोजित करने का अधिकार है। यदि किसी अधिसूचित शहर में परीक्षा केंद्र चलाने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है या कोई अन्य विशिष्ट कारण है, तो प्राधिकरण अपने विवेक से उस शहर में परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है और जिन अभ्यर्थियों ने उस शहर को पहली पसंद के रूप में चुना है, उन्हें दूसरी या तीसरी पसंद के रूप में चुने गए किसी अन्य शहर या किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भाराराप्रा प्रशासनिक कारणों, यदि कोई हो, के कारण अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए शहर/केंद्र को संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भाराराप्रा का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी परिस्थिति में एक बार आवंटित शहर/केंद्र को नहीं बदला जाएगा।

(i) कौशल परीक्षा के लिए परीक्षा शहर/शहरों की सूचना चयनित अभ्यर्थियों को अलग से दी जाएगी।

(iii) किसी भी परिस्थिति में तिथि, परीक्षा केंद्र और शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

.12अंकन योजना: - सीबीटी में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25अंक काटे जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्नों पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होगा।

परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी कारण से इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

.13अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निदेश:-

क. सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर: अभ्यर्थियों के पास अपनी सक्रिय व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। पंजीकरण संख्या, पासवर्ड, सीबीटी के लिए ई-प्रवेश पत्र, दस्तावेज़ सत्यापन के

लिए कॉल लेटर या कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना केवल अभ्यर्थी की उसी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर या/और एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी (अभ्यर्थी स्पैम/जंक बॉक्स संदेशों में भी ई-मेल की जाँच करें) अभ्यर्थियों को भेजे गए किसी भी ई-मेल और एसएमएस के वापस आने के लिए भाराराप्रा जिम्मेदार नहीं होगा।

ख. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से भाराराप्रा की वेबसाइट देखते रहें। सूचना/संचार आदि प्राप्त करने और डाउनलोड करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई अमान्य/गलत ई-मेल आईडी के कारण भेजे गए ई-मेल के खो जाने के लिए भाराराप्रा जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. इसलिए, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे भाराराप्रा से किसी भी प्रकार के संचार के लिए नियमित रूप से अपना ई-मेल देखें। भाराराप्रा किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। कृपया ध्यान दें कि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण के लिए ई-प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

घ. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम डेढ़ घंटा पहले आवंटित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें। चूंकि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें ताकि परीक्षा देने में लगने वाले समय की हानि से बचा जा सके। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुँचता है, तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ड. **प्रतिबंधित वस्तुएं:** कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, हेडफोन, इयरप्लग, लैपटॉप, आई-पैड, डिजिटल डायरी, डिजिटल घड़ी, कलाई घड़ियां, किताब/नोट्स, वॉलेट/पर्स, आभूषण सहित धातु की चूड़ियां, बेल्ट, कंगन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण आदि परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना सख्त वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास सीबीटी के दौरान इनमें से कोई भी प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र में कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त प्रतिबंधित वस्तु के साथ आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह उसे परीक्षा केंद्र परिसर के बाहर न रख दे। परीक्षा हॉल के बाहर अभ्यर्थियों के निजी सामान को सुरक्षित रखने की कोई सुविधा नहीं है और भाराराप्रा किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

च. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष/हॉल में प्रवेश के लिए, मांगे जाने पर, प्रवेश पत्र दिखाना होगा। परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मचारी अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए अधिकृत है और पहचान संबंधी प्रमाण-पत्रों की पुष्टि और सत्यापन हेतु कदम उठा सकता है। अभ्यर्थियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र नहीं होगा,

उसे किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं होगा।

छ. प्रत्येक अभ्यर्थी को रोल नंबर दर्शाने वाली एक सीट आवंटित की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल अपनी आवंटित सीट ढूँढकर उसी पर बैठना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी इच्छा से आवंटित सीट के बजाय कमरा/हॉल या सीट बदलता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। किसी भी स्तर पर किसी भी दलील पर विचार नहीं किया जाएगा।

ज. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में स्क्रीन पर दिखाई देने वाला प्रश्नपत्र उसके प्रवेश पत्र में दर्शाए गए पद के अनुसार ही हो। यदि अभ्यर्थी को आवेदित पद से भिन्न पद के लिए प्रश्नपत्र प्राप्त होता है, तो उसे भरने से पहले संबंधित निरीक्षक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

झ. परीक्षा के दौरान कोई भी अभ्यर्थी किसी भी सहायता, प्राथमिक उपचार आपातस्थिति या अन्य जानकारी के लिए कक्ष में केन्द्र अधीक्षक/निरीक्षक से संपर्क कर सकता है।

ञ. जो अभ्यर्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनके लिए किसी भी परिस्थिति में पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

ट.नोट: अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र में दर्शाई गई तिथि और शिफ्ट में केंद्र पर अपने खर्च पर उपस्थित होना होगा। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र में दिए गए केंद्र और शिफ्ट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सीबीटी/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/मूल दस्तावेज सत्यापन/ज्वाइनिंग (पद चयन) में उपस्थित होने के लिए भाराराप्रा द्वारा अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

.14 अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य लाने होंगे। जो अभ्यर्थी इन्हें नहीं लाएंगे उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क. भाराराप्रा वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति।

ख. परीक्षा के दौरान केंद्र पर उपस्थिति पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाने के लिए एक पासपोर्ट आकार का फोटो (ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अपलोड किया गया फोटो) ले जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो।

ग. कोई भी अधिकृत फोटो पहचान पत्र (मूल, वैध और समाप्त न हुआ हो) - ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पासपोर्ट/ आधार कार्ड (फोटो सहित)।

घ. यदि दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत छूट का दावा किया जा रहा है, तो अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाणपत्र।

ड. यदि पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के तहत छूट का दावा किया जाता है, तो निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा में लिखने के लिए शारीरिक सीमा के संबंध में पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र।

च. यदि दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत छूट का दावा किया जाता है, तो संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र।

.15 रफ कार्य:- सभी गणना/लेखन कार्य केवल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कक्ष/हॉल में उपलब्ध

कराई जाने वाली रफ शीट पर ही किए जाने हैं तथा परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थियों को रफ शीट कमरे/हॉल में ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक को सौंपनी होगी।

.16 अनुचित साधन:-

अनुचित साधन व्यवहार एक ऐसी गतिविधि है जो किसी अभ्यर्थी को अन्य अभ्यर्थियों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(i) सीबीटी/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय, यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करने या परीक्षा हॉल/साक्षात्कार हॉल में, जहां भी लागू हो, किसी अन्य का रूप धारण करने या दुर्यवहार करने, या परीक्षा प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव डालने, या चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनुचित साधन का सहारा लेने, या किसी अन्य माध्यम से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और लागू कानून, विनियमन और नियमों आदि के अनुसार भाराराप्रा की किसी भी परीक्षा या चयन से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा/साक्षात्कार से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ii) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र या किसी दस्तावेज में अपनी योग्यता, श्रेणी/जाति और अनुभव के संबंध में कोई गलत जानकारी/विवरण प्रस्तुत किया है और/या भाराराप्रा में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत तरीके से प्रस्तुत की है/छिपाई है तो उसकी सेवा, सेवा के किसी भी स्तर पर अर्थात् परिवीक्षा अवधि के दौरान या भाराराप्रा में सेवा की पुष्टि के बाद तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

(iii) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा।

(iv) किसी भी वस्तु या सामान को अपने पास रखना जिसे निषिद्ध किया गया है या जिसका अनुचित व्यवहार के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कोई भी लेखन सामग्री आइटम (किसी भी प्रकार का कागज/स्टेशनरी/पाठ्य सामग्री/मुद्रित/लिखित सामग्री), संचार उपकरण, सहायक उपकरण, खाद्य पदार्थ, आभूषण या कोई अन्य सामग्री या जानकारी शामिल है जो संबंधित पेपर में परीक्षा के लिए प्रासंगिक या अप्रासंगिक है;

(v) परीक्षा में लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करना (प्रतिरूपण करना) या नकल करना;

(vi) परीक्षा नियमों या भाराराप्रा द्वारा समय-समय पर परीक्षा के संबंध में जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन करना;

(vii) अन्य अभ्यर्थियों को कदाचार में संलग्न होने में सहायता करना, किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना;

(viii) परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के समय परीक्षा स्टाफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क

करना या संवाद करना या ऐसा करने का प्रयास करना;

(ix) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी को धमकाना/डराना या किसी भी अभ्यर्थी को धमकाना;

(x) परीक्षा के संबंध में किसी अनुचित साधन का प्रयोग करना या प्रयोग करने का प्रयास करना;

(xi) ऑनलाइन दस्तावेजों जैसे एडमिट कार्ड, स्व-घोषणा आदि में हेरफेर और निर्माण ;

(xii) परीक्षा केन्द्र/हॉल में बलपूर्वक प्रवेश/निकास;

(xiii) परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन/ईयरफोन/माइक्रोफोन/पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेन्ट , स्लाइड रूल, लॉग टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, कोई भी धातु की वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/डिवाइस आदि) का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना;

(xiv) आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र/ प्रोफार्मा पर गलत/बदली हुई/रिक्त फोटो/हस्ताक्षर लगाना/अपलोड करना ;

(xv) परीक्षा के सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न करना।

(xvi) भाराराप्रा द्वारा अनुचित साधन के रूप में घोषित कोई अन्य कदाचार।

(xvii) भविष्य में किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र में किसी अन्य व्यक्ति का फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र का उपयोग/अपलोड किया है या उसने अपने प्रवेश पत्र के साथ छेड़छाड़ की है, तो अभ्यर्थी के इन कृत्यों को उसकी ओर से अनुचित साधन (यूएफएम) व्यवहार माना जाएगा और उसके विरुद्ध लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(xviii) परीक्षा केन्द्र/स्थल पर परीक्षा के सुचारू संचालन में व्यवधान उत्पन्न करना।

.17 अनुचित साधनों/प्रथाओं का प्रयोग करने पर दण्ड:-

(i) परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पहले या बाद में यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त या इसी तरह के किसी भी व्यवहार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे अनुचित साधनों का उपयोग करने वाला माना जाएगा और अनुचित साधनों (यूएफएम) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और परीक्षा से वंचित किया जाएगा। अभ्यर्थी आपराधिक अभियोजन कार्रवाई और/या प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित समझी जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसमें (समय-समय पर संशोधित) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम/अधिनियम, 2024 के प्रावधान शामिल हैं) अनुचित साधनों/व्यवहारों में लिप्त अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और घोषित नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी पर कानूनी/आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, साथ ही निम्नलिखित कार्रवाई भी की जाएगी:-

- भर्ती प्रक्रिया के लिए अयोग्य,

और /या

- भाराराप्रा द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा/भर्ती से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

और /या

- भाराराप्रा की सेवा में नियुक्ति के बाद यदि कदाचार का कृत्य संज्ञान में आता है तो सेवा से सेवा -मुक्ति/निष्कासन/बर्खास्तगी।

18 प्रश्न/परीक्षा पत्र के लिए माध्यम का चयन:-

परीक्षा का माध्यम द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा।

19 ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका एवं उत्तर कुंजी का प्रदर्शन:-

सीबीटी में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तर और परीक्षा की उत्तर कुंजी भाराराप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसके लिए वेबसाइट <https://nhai.gov.in> पर एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जाएगी। अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना में अधिसूचित निर्धारित समय के भीतर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी दो से तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किए जाने की संभावना है ताकि अभ्यर्थियों को उत्तर को चुनौती देने का अवसर मिल सके, यदि वे किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो प्रसंस्करण शुल्क के रूप में प्रति प्रश्न 500/- रुपये की गैर-वापसी योग्य निर्धारित शुल्क देना होगा। निर्धारित समय के भीतर अनंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ प्राप्त चुनौतियों को उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने के लिए विषय विशेषज्ञ के समक्ष रखा जाएगा। शुल्क के भुगतान के बिना और किसी अन्य माध्यम (जैसे ईमेल/पत्र/अभ्यावेदन, आदि) पर प्रस्तुत चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ प्राप्त सभी चुनौतियों की जांच करेंगे अभ्यर्थियों को उनकी चुनौतियों की स्थिति के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा। परिणाम विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर घोषित किया जाएगा। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के विरुद्ध भुगतान किया गया शुल्क, लागू बैंक शुल्क काटने के बाद, अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। यह शुल्क उसी खाते में वापस किया जाएगा जहाँ से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन भुगतान किया है।

परिणाम की घोषणा के बाद उत्तर कुंजी के संबंध में कोई शिकायत / अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

.20 सामान्य शर्त:-

(1) प्राधिकरण प्रशासनिक कारणों से उपरोक्त किसी भी रिक्ति को भरने, न भरने या आंशिक रूप से भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(2) प्राधिकरण के पास योग्यता, अनुभव, लिखित और/या कौशल परीक्षा, जैसा भी मामला हो, के आधार पर अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित है।

- (3) प्राधिकरण परीक्षा से पहले किसी भी समय, यदि आवश्यक हो, परीक्षा योजना में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (4) भाराराप्रा एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करता है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- (5) सेवा शर्तें प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2024 और इसके बाद के संशोधनों और समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशों सहित लागू होंगी।

(6) चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् भारत में कहीं भी प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय में तैनात किया जा सकता है या तत्पश्चात् स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि इन पदों पर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरण की बाध्यता है।

- (7) तैनाती के लिए बाहरी दबाव से प्रभावित वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- (8) आवेदकों को पद की आवश्यक आवश्यकताओं/ अर्हता और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूर्ण करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे स्वयं आश्वस्त हो जाएं कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य अर्हता रखते हैं। पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी: निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य अर्हता हैं और मात्र इनके होने से अभ्यर्थियों को सीबीटी परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार, जैसा भी हो, के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं देता है।

अतः अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में अपनी सभी अर्हता और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए।

- (9) प्राधिकरण द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं/उत्तर पत्रकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (10) प्राधिकरण प्रश्न पत्र से किसी भी प्रश्न/प्रश्नों को रद्द/वापस लेने/हटाने का अधिकार रखता है और प्राप्त अंकों को अधिकतम अंकों में से आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।
- (11) इस भर्ती अधिसूचना में शामिल पदों के लिए रिक्तियों की संख्या अस्थायी है तथा प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।
- (12) यह भर्ती भाराराप्रा द्वारा जारी विज्ञापन/अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (13) अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित अर्हता केवल अधिसूचित/निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही होनी चाहिए और साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन/चयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उल्लिखित सभी शैक्षणिक अर्हता भारत सरकार द्वारा मान्यता

- प्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से होनी चाहिए और परिणाम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले घोषित किया होना चाहिए। बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्राप्त ऐसे उपर्युक्त दस्तावेज़, जिनसे यह प्रमाणित हो कि परिणाम उक्त अंतिम तिथि तक घोषित किया गया था, माँगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। पात्रता के लिए मानी जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि अंक पत्र/अनंतिम प्रमाण पत्र पर उल्लिखित उत्तीर्ण होने की तिथि होगी।
- (14) कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संगठन/विभाग के प्रमुख/ प्राधिकृत व्यक्ति से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें दावा किए गए संपूर्ण कार्य अनुभव का उल्लेख हो, जिसमें मूल वेतन और समेकित वेतन सहित रोजगार की अवधि (दिनांक, माह और वर्ष) का स्पष्ट उल्लेख हो। प्रमाण पत्र में पद पर किए गए कर्तव्यों/प्राप्त अनुभव की प्रकृति और अवधि का भी उल्लेख दिनांक /माह/ वर्ष के प्रारूप में होना चाहिए।
- (15) विभिन्न पात्रता मानदंड (शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा आदि) निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि/निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। आवेदन करने से पहले, आवेदकों को इस निर्णायक तिथि तक अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना होगा।
- (16) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए लागू भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।
- (17) विज्ञापन/रिक्तियों के परिपत्र में उल्लिखित पदों के लिए उम्मीदवारों को केवल "ऑनलाइन" माध्यम से आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (18) प्रशासनिक कारणों से सीबीटी/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनाने के लिए प्राधिकरण स्क्रीनिंग परीक्षा/योग्यता/अनुभव आदि जैसे मानदंड तय करने का अधिकार रखता है।
- (19) अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पहले भाराराप्रा के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- (20) ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अभ्यर्थी के पास न्यूनतम आवश्यक अर्हता के प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- (21) अभ्यर्थियों को यह जानकारी होने चाहिए कि प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात भी उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि शिक्षा, अनुभव, जाति आदि से संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कर ली जाती।
- (22) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, भर्ती या कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी, यदि यह पाया जाता है कि दी गई कोई जानकारी गलत है, जाली/छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं या प्रासंगिक जानकारी को छिपाया गया है या गैर-मानवीय या अप्रासंगिक फोटो अपलोड किया गया है, तो उक्त आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा,

अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और भाराराप्रा में भविष्य की नियुक्ति के लिए उसे निषिद्ध कर दिया जाएगा और आवेदन/नियुक्ति को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- (23) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने प्राधिकरण में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में या किसी दस्तावेज में अपनी अर्हता, श्रेणी/जाति और अनुभव के संबंध में कोई गलत जानकारी/विवरण प्रस्तुत किया है और/या आवेदन पत्र में कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत तरीके से प्रस्तुत की है/छिपाई है, तो उसकी सेवा के किसी भी स्तर पर अर्थात् परिवीक्षा अवधि के दौरान या प्राधिकरण में सेवा की पुष्टि के पश्चात भी, बिना कोई कारण बताए, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
- (24) किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं करने चाहिए। किसी एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, केवल अंतिम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
- (25) कोई उम्मीदवार यदि पात्र है, तो वह एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा। हालाँकि, यदि एक या अधिक पदों के लिए सीबीटी एक ही तिथि या समय पर आयोजित की जाती है, तो तिथि या समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और भाराराप्रा इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। ऐसे मामले में, उम्मीदवार को यह तय करना होगा कि वह किस पद के लिए परीक्षा देना चाहता है। इसके अलावा, अन्य पदों के लिए भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में समायोजित/वापस नहीं किया जाएगा।
- (26) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारूप/रिक्तियों के परिपत्र/सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (27) भाराराप्रा किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा दर्ज/भरी गई किसी भी जानकारी को संपादित/संशोधित/बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। तत्पश्चात जानकारी में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में सही विवरण भरने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें।
- (28) यदि इस विज्ञापन के हिन्दी में अनुवादित संस्करण में कोई विसंगति या भिन्नता पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण में दिया गया पाठ ही अंतिम माना जाएगा।
- (29) ऑनलाइन आवेदन पत्र का पुष्टिकरण (confirmation) पृष्ठ उम्मीदवार द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के सफल भुगतान के बाद ही जेनरेट होगा। यदि शुल्क भुगतान के बाद भी पुष्टिकरण पृष्ठ जेनरेट नहीं होता है, तो उम्मीदवार संबंधित बैंक/भुगतान गेटवे से संपर्क करें। ऐसी स्थिति में भाराराप्रा किसी भी धनवापसी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
- (30) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत किया जाने वाला ई-मेल पता और मोबाइल नंबर सक्रिय और उपयोग में है, क्योंकि

प्रासंगिक/महत्वपूर्ण जानकारी/संचार केवल पंजीकृत ई-मेल पते पर और/या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ही भेजा जाएगा। किसी भी गैर-संचार/गलत संचार के लिए भाराराप्रा जिम्मेदार नहीं होगा।

- (31) अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, पाली एवं समय पर परीक्षा केन्द्र पर अपने व्यय से उपस्थित होना होगा।
- (32) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए भाराराप्रा की वेबसाइट देखें और अपने ईमेल/एसएमएस नियमित रूप से देखते रहें। प्राधिकरण अभ्यर्थियों को परीक्षा के आयोजन के संबंध में उनके ई-मेल का उत्तर देकर अद्यतन नहीं करेगा।
- (33) यदि कोई अभ्यर्थी गलत जानकारी देकर गुमराह करता हुआ पाया गया तो उसे इस भर्ती परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा तथा किसी भी पद के लिए उसकी उम्मीदवारी स्वतः ही अस्वीकृत मान ली जाएगी।
- (34) उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा। पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल उम्मीदवारों की है। अतः उम्मीदवारों को पदों के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
- (35) इस भर्ती अधिसूचना में शामिल सभी पदों पर भर्ती हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची भाराराप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (36) भाराराप्रा चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले या बाद में किसी भी समय उम्मीदवार की पात्रता का सत्यापन कर सकता है। यदि आवेदन पत्र में जानकारी के अभाव या अन्य किसी कारण से किसी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी भी कर दिया जाता है और किसी भी चरण (कार्यग्रहण तिथि और उसके बाद सहित) में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्र नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
- (37) केवल चरण-1/साक्षात्कार/कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सभी प्रकार से उपयुक्त है तथा पद के लिए भर्ती एवं नियमों की अपेक्षित शर्तों/मानदंडों को पूर्ण करता है।
- (38) इस भर्ती के संबंध में अभ्यर्थी की सीबीटी में उत्तर पत्रक और परीक्षा के अन्य संबंधित कागजात/दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से केवल एक माह के लिए रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा।
- (39) चयनित उम्मीदवार लागू नियमों के अनुसार प्रारंभ में परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी को बिना कोई कारण बताए 30 दिन का नोटिस देकर या उसके बदले वेतन और सभी भत्ते देकर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर एक महीने के नोटिस की आवश्यकता में छूट दी जा सकती हैं।

- (40) साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन का प्रिंटआउट अभ्यर्थी की आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, गैर-क्रीमी लेयर, दिव्यांगता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आदि, जैसा भी लागू हो, प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों सहित प्रस्तुत करना होगा।
- (41) आवेदन पत्र में अभ्यर्थी तथा उसके पिता/माता/पति आदि का नाम स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए, जैसा कि कक्षा 10वीं के अंकपत्र/प्रमाणपत्र में दिया गया है।
- (42) पात्रता शर्तों को पूरा करने और निर्धारित प्रोसेसिंग फीस की प्राप्ति के पश्चात उम्मीदवारों को भाराराप्रा वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।
- (43) अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
- (44) अभ्यर्थियों को अपने ई-प्रवेश पत्र में दर्शाई गई तिथि और पाली/समय पर दिए गए परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा में उपस्थित होना होगा।
- (45) **ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में तकनीकी प्रश्नों/स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी शिकायत पोर्टल/हेल्पडेस्क नंबर +91-9513252099 पर प्रातः 10:00 बजे से 18:00 बजे तक (रविवार और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) संपर्क कर सकते हैं।**
- (46) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा परीक्षा के दौरान उनका सख्ती से पालन करें।
- (47) प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए विवरण (नाम/फोटो/हस्ताक्षर/श्रेणी) में किसी भी प्रकार के सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र/शहर आदि के विवरण से संबंधित किसी भी अन्य विसंगति के मामले में, उम्मीदवार आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों पर भाराराप्रा वेबसाइट पर निर्दिष्ट तिथि तक विचार किया जाएगा। अन्य ई-मेल आईडी पर भेजे गए ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (48) अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के किसी भाग को क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए तथा उसमें की गई किसी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए।
- (49) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में संदर्भ के लिए अपने प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें।
- (50) उन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा जिनके आवेदन किसी भी कारण से अपूर्ण पाए जाएंगे (अस्पष्ट/संदेहास्पद फोटो/हस्ताक्षर रहित आवेदन सहित) या जो परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड पूर्ण नहीं करते हैं।
- (51) हालाँकि, केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि पात्रता स्वीकार कर ली गई है, जिसकी चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में भविष्य जांच की जाएगी।
- (52) भर्ती प्रक्रिया/अभ्यर्थी की पात्रता/प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/सीबीटी/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार का आयोजन तथा भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी मामले में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा।

- (53) प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, प्रशासनिक कारणों से किसी केन्द्र/स्थल/निर्दिष्ट पद या अभ्यर्थी के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, पुनः परीक्षा/पुनः साक्षात्कार आयोजित कर सकता है।
- (54) **चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भाराराप्रा द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किए जाने के अधीन है।**
- (55) प्राधिकरण भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटि के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और भविष्य में ऐसी त्रुटियों, यदि कोई जानकारी में आती है, को सुधारने का अधिकार रखता है। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि के मामले में, भाराराप्रा ऐसी त्रुटि को सुधारने का अधिकार रखता है।
- (56) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाना चाहते हैं/या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित/प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाएंगे। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।
- (57) **टाई मामलों का समाधान:** प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती के मामले में, मेरिट लिस्ट में समान रैंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट उनकी जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी, आयु में बड़े अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। यदि ऐसे अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी समान है, तो मेरिट उनके नाम के पहले अक्षर के क्रम में निर्धारित की जाएगी।
- (58) अभ्यर्थी इस भर्ती सूचना से संबंधित किसी भी कानूनी विवाद, यदि कोई हो, को केवल दिल्ली की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार में उठा सकते हैं।
- (59) किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (60) आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन: आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी आवेदन पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक विचार नहीं किया जाएगा।
- (61) **केवल वेबसाइट पर जानकारी:** आवेदनों या आवेदकों से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी/शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/विवरण/परीक्षा कार्यक्रम या प्रवेश पत्र/दस्तावेज सत्यापन हेतु कॉल लेटर/सूचना/परिणाम/पैनल से संबंधित आगे कोई अन्य जानकारी केवल भाराराप्रा की आधिकारिक वेबसाइट (<https://nhai.gov.in>) पर ही उपलब्ध कराई जाएगी और प्रिंट मीडिया (प्रेस) में कोई अलग से अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भाराराप्रा की आधिकारिक वेबसाइट से नियमित रूप से अद्यतन रहें।
- (62) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान लगी किसी भी चोट के संबंध में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

(63)

उम्मीदवारों को विज्ञापन के पैरा 7 में निर्दिष्ट प्रारूप और आकार के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत/अपलोड करना आवश्यक है :

- (i) फोटोग्राफ – रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
- (ii) हस्ताक्षर – हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति
- (iii) कक्षा-X का प्रमाणपत्र – जन्मतिथि दर्शाने वाला केवल “पीडीएफ” प्रारूप में
- (iv) कक्षा-XII अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र – केवल ‘पीडीएफ’ प्रारूप में
- (v) जाति/वर्ग प्रमाणपत्र - एससी /एसटी /ओबीसी (एनसीएल) / ईडबल्यूएस के लिए संलग्न निर्धारित प्रारूप में, केवल ‘पीडीएफ’ प्रारूप में (यदि लागू हो)।
- (vi) दिव्यांगता प्रमाणपत्र – दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप में, केवल ‘पीडीएफ’ प्रारूप में (यदि लागू हो)।
- (vii) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/योग्यताएँ उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र – केवल ‘पीडीएफ’ प्रारूप में।
- (viii) आयु में छूट के लिए प्रमाणपत्र – भाराराप्रा के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, केवल ‘पीडीएफ’ प्रारूप में (यदि लागू हो)।
- (ix) अनिवार्य अनुभव का प्रमाणपत्र – (यदि लागू हो)।
- (x) भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र – [केवल नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में]

21. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निदेश:

- i) सीबीटी में अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या (श्रेणी/समुदाय-वार) के बराबर होगी।
- ii) भाराराप्रा द्वारा तय की गई आकस्मिकताओं के लिए एक आरक्षित सूची तैयार की भी जा सकती है और नहीं भी। आरक्षित सूची एक वर्ष की अवधि या अगले भर्ती चक्र की शुरुआत तक, जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगी। इसका उपयोग चयन या आरक्षित सूची पैनल में योग्यता के क्रम में नियुक्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यदि मेरिट सूची में शामिल कोई भी सूचीबद्ध अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या आरक्षित सूची की वैधता अवधि के दौरान त्यागपत्र दे देता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए भी आरक्षित सूची का उपयोग किया जाएगा। पैनल की वैधता अवधि के दौरान सृजित किसी भी नई रिक्ति को आरक्षित उम्मीदवारों की सूची से नहीं भरा जाएगा, सिवाय उन रिक्तियों के जो सेवानिवृत्ति, कर्मचारी की मृत्यु, प्रतिनियुक्त अधिकारी की वापसी या इस्तीफे के कारण सृजित हुई हों।

हालाँकि, आरक्षित सूची का संचालन, यदि कोई हो, पूरी तरह से भाराराप्रा का प्रशासनिक विशेषाधिकार होगा और मुख्य पैनल में किसी भी कमी के विरुद्ध मेरिट सूची में नीचे आने या आरक्षित सूची को संचालित करने के लिए उम्मीदवार के किसी भी दावे/अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- iii) भाराराप्रा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय या कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आदि के दौरान पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जाँच नहीं करेगा। अतः उम्मीदवारी केवल **अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी**। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक अर्हता, आयु आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ें और स्वयं संतुष्ट हों कि वे पद के लिए पात्र हैं। पात्रता, दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, आयु, शैक्षिक योग्यता और उम्मीदवारी के अन्य पहलुओं की जांच दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय की जाएगी।
- iv) अनिवार्य योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों/दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेज़ों द्वारा पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा केवल सटीक, पूर्ण और सही जानकारी ही प्रस्तुत की जाए। किसी भी स्तर पर गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या किसी भी जानकारी को छिपाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी, यदि नियुक्त भी हो जाएं तो भी बिना किसी सूचना के उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- v) **पहचान सत्यापन** : यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध है या वह अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ है या दस्तावेज़ों में जानकारी का मिलान नहीं है, तो उसे दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- vi) सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति आयु, योग्यता, जाति और अन्य प्रमाण पत्रों आदि से संबंधित मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन और भाराराप्रा की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आयोजित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में फिट घोषित किए जाने के अधीन होगी।
- vii) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ लेकर आएँ। यदि अभ्यर्थी कोई भी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी, कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित है: -

- (क) जन्म तिथि (डीओबी) के सत्यापन के लिए मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक (10 वीं) परीक्षा प्रमाण पत्र और मार्कशीट।
- (ख) एससी / एसटी / ओबीसी (एनसीएल) / ईडबल्यूएस/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (ग) ओबीसी (एनसीएल) अभ्यर्थियों द्वारा ओबीसी-एनसीएल आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए **01.04.2025 को या उसके बाद** जारी "नॉन-क्रीमी लेयर" स्थिति को प्रमाणित करने वाला वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (घ) ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय **01.04.2025 को या उसके बाद** जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (ङ) आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा जारी अंतिम प्रमाण पत्र (निर्धारित योग्यता के अनुसार)।
- (च) आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा जारी (निर्धारित योग्यता के अनुसार) सभी सेमेस्टर/वर्षों की अंक तालिकाएँ।
- (छ) यदि किसी कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड ने अंकों के स्थान पर ग्रेड (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई/डीजीपीए या लेटर ग्रेड) प्रदान किया है, तो अभ्यर्थी को संस्थान से प्रतिशत रूपांतरण सूत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (ज) डिग्री/प्रमाणपत्र में विशेषज्ञता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो अभ्यर्थी को कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लाना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उस विशेषज्ञता का उल्लेख हो जिसमें अभ्यर्थी ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा/आईटीआई (जहाँ भी लागू हो) प्राप्त की है।
- (झ) ऐसे मामले में जहाँ प्रोविजनल डिग्री/मार्कशीट जारी की गई है, अभ्यर्थी को मूल डिग्री प्रमाणपत्र जारी न करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मुहर सहित हस्ताक्षरित कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और प्रोविजनल डिग्री के विवरण को प्रमाणित करना होगा।
- (ञ) यदि कोई दस्तावेज़/प्रमाणपत्र हिन्दी अथवा अँग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया है तो राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा उसकी विधिवत सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
- (ट) नाम में औपचारिक परिवर्तन के मामले में कानूनी दस्तावेज़ जैसे कि उनका मूल विवाह प्रमाण पत्र / मूल शपथ पत्र आदि।
- (ठ) सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में नियमित आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। भाराराप्रा के विभागीय/नियमित कर्मचारियों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन्हें सतर्कता और एआईपीआर क्लियरेंस प्रस्तुत करना होगा।

चेतावनी

भाराराप्रा में नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके या तो प्रभाव डालकर या अनुचित एवं अनैतिक तरीकों से धोखा देने की कोशिश करने वाले दलालों, नौकरी दिलाने वाले गिरोहों और अन्य जालसाजों से सावधान रहें और उनके जाल में न फँसें। भाराराप्रा की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है और अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल भाराराप्रा की आधिकारिक वेबसाइट <https://nhai.gov.in> पर ही संपर्क करें और जालसाजों/दलालों द्वारा बनाई गई नकली वेबसाइटों से सावधान रहें।

एसडी /-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन/प्रशासन)-III

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रामाणिक किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी....., सुपुत्र/सुपुत्री श्री , जो ग्राम/नगर....., जिला/मंडल....., राज्य /संघ शासित प्रदेश का/की निवासी है, समुदाय से संबन्धित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या सं , दिनांक* के अंतर्गत एक पिछड़ा श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती / कुमारी और/या उसका परिवार सामान्य तौर पर जिला /संघ शासित प्रदेश के जिले / मंडल में निवास करता है।

यह भी प्रामाणिक किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.जा. सं 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.जा. सं 36033/3/2004 स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के का.जा. सं 36033/3/2004 स्था. (आरक्षण) और दिनांक 27 मई, 2013 के का.जा. सं 36033/1/2013 स्था(आरक्षण)**, की अनुसूची के कॉलम 3 के कॉलम 3 में दिये गए व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
कार्यालय की मुहर

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में दिया गया है।

** समय-समय पर यथासंशोधित

टिप्पणी:- यहां 'साधारणता' का अर्थ वही होगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रोफॉर्मा (भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री निवासी ग्राम/कस्बा जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधित अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002)

संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

2. यह उन अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू हैं जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री श्रीमती/कुमारी* _____ के माता पिता श्री श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा _____ जिला संभाग _____ राज्य संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान

दिनांक.....

* जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- (क) यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
4. क्षेत्र का उप मण्डल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या _____ दिनांक _____

वर्ष _____ के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी

_____, गाँव/गली, _____ डाकघर _____ जिला _____, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

, पिन कोड _____ के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो नीचे प्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके/उनकी 'परिवार*** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष _____ के लिए 8 लाख रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उनकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है:

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____, _____ जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट
आकार का सत्यापित फोटो

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

**नोट 2: इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

आयु में छूट का दावा करने के लिए भाराराप्रा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी, भाराराप्रा के कर्मचारी हैं और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान _____ में _____ के पद पर कार्यरत हैं तथा _____ (परीक्षा का नाम) के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक इस ग्रेड में 03 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान कर चुके हैं। भाराराप्रा में _____ के पद पर नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की उनकी तिथि _____ से है। उनकी कर्मचारी/ईआरपी आईडी _____ है।

यहां अपना हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

फोटोग्राफ पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी का नाम #

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

स्थान:

दिनांक:

(*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।)

(# - प्रमाण पत्र संबंधित कर्मचारी के केंद्र को संभालने वाले भाराराप्रा मुख्यालय के महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशासन)/उप महा प्रबंधक (मा.सं./प्रशासन) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से हस्ताक्षरित और जारी किया जाना चाहिए।)

फॉर्म-V

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्णतः स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और दृष्टिहीनता के मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण पत्र संख्या _____ दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
जन्म तिथि _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ मकान संख्या _____
_____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____ का

स्थायी निवासी, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(क) वह निम्न में से किसका/किनका मामला है:

*चलने-फिरने में अक्षमता

*बौनापन

*दृष्टिहीनता

(कृपया जहाँ लागू हो वहाँ टिक करें)

(ख) उसके मामले में निदान _____ है।

(ग) उसे दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार, उसके (शरीर के भाग) _____ के संबंध में _____%
(अंक में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी चलन संबंधी दिव्यांगता /बौनापन/ दृष्टिहीनता है।

(1) आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VI

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(एकाधिक दिव्यांगताओं के मामले में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या: दिनांक:

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाते हुए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) _____, आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या _____ मकान संख्या _____ वार्ड/गाँव/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____ के स्थायी निवासी की सावधानीपूर्वक जाँच की है, जिनका फोटो ऊपर चिपका हुआ है और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि:

(क) वह बहु- दिव्यांगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशानिदेशों (दिशानिदेशों की संख्या और जारी करने की तिथि विनिर्दिष्ट की जाए) के अनुसार किया गया है, जो नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाए गए हैं:

क्रम सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक दिव्यांगता /मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	गति-संचालन दिव्यांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्राफी			
3.	कुष्ठ उपचारित			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाबी हमले से पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिर	£		
10.	ऊँचा सुनना	£		
11.	वाक् और भाषा			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल			
17.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			

18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(क) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिदेशों (विनिर्दिष्ट किए जाने वाले) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता निम्नानुसार है:

अंकों में:प्रतिशत शब्दों में----- प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

क. आवश्यक नहीं,

या

.....वर्ष महीनों के बाद/अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र

(दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा

@ उदाहरण के लिए, बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर;

उदाहरण के लिए, एक आँख/दोनों आँखें;

£ उदाहरण के लिए, बायां/दायां/दोनों कान

2. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	हस्ताक्षर जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

3.3. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VII

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या:- दिनांक:-----

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाते हुए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ मकान संख्या _____ वार्ड/गांव/गली डाकघर _____, जिला _____, राज्य _____ के स्थायी निवासी, जिनकी फोटो ऊपर चिपकाई गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वह _____ दिव्यांगता का मामला है। उनकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/ दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों(_____ संख्या और दिशानिर्देश जारी करने की तिथि विनिर्दिष्ट की जाए) के अनुसार किया गया है, जो नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाए गए हैं:

क्रम सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	गति-संचालन दिव्यांगता	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ उपचारित			
4	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5	तेजाबी हमले से पीड़ित			
6	अल्प दृष्टि	#		
7	बधिर	£		
8	ऊंचा सुनना	£		
9	भाषण और भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक रोग			
14	दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	पार्किंसंस रोग			

17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन दिव्यांगताओं को काट दें जो लागू नहीं होतीं)

2. उपरोक्त स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार है:

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _____ वर्ष _____ महीने के बाद अनुशंसित है, और इसलिए यह

प्रमाणपत्र (दिन/माह/वर्ष) _____ तक वैध रहेगा।

@ - उदाहरणार्थ, बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

- उदाहरणार्थ, एक आँख/दोनों आँखें

€ - उदाहरणार्थ, बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	हस्ताक्षर जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

{मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर,
यदि प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है (मुहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

नोट: यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह केवल तभी मान्य होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

अनुलग्नक -VIII

परीक्षार्थी की शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती _____ (दिव्यांगत अभ्यर्थी का नाम), जो _____ (दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से पीड़ित हैं, पुत्र/पुत्री _____ जो _____ (गाँव/जिला/राज्य) के निवासी हैं, की परीक्षा ली है और यह उल्लेख किया है कि उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा आ रही है।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान

नाम एवं पदनाम सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान:

दिनांक:

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित विषय/ दिव्यांगता के विशेषज्ञ (जैसे, दृष्टिबाधित - नेत्र रोग विशेषज्ञ, गतिबाधित - अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) द्वारा दिया जाना चाहिए।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती _____ (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री _____, निवासी _____

..... (गाँव/डाकघर/थाना/जिला/राज्य), आयु _____ वर्ष, _____ (दिव्यांगता /स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त व्यक्ति की जाँच की है और यह बताया है कि उपरोक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा आ रही है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपरोक्त उम्मीदवार सहायक उपकरणों और सहायक उपकरणों जैसे कृत्रिम अंग और ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट करें) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

4. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह _____ तक वैध है (यह चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम
हड्डी रोग विशेषज्ञ / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो) *	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो) *	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

स्थान:

दिनांक:

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम (मुहर सहित)

*मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी निकटतम जिले या मेडिकल कॉलेज/संस्थान से न्यूरोलॉजिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक (यदि जिले में उपलब्ध न हो) को शामिल करने के लिए पूर्ण प्रयास कर सकते हैं।

स्वयं के लेखक का उपयोग करने के लिए वचन पत्र

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

यहां स्क्राइब का हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

1. उम्मीदवार का नाम _____
2. रोल नंबर _____
3. केंद्र का नाम _____
4. उम्मीदवार की योग्यता _____
5. दिव्यांगता का प्रकार _____
6. स्क्राइब का नाम _____
7. स्क्राइब का आधार नंबर _____
8. स्क्राइब की जन्म तिथि _____
9. स्क्राइब के पिता का नाम _____
10. स्क्राइब का पता:

(क) स्थायी पता

(ख) वर्तमान पता

11. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता

12. स्क्राइब का उम्मीदवार से संबंध, यदि कोई हो,

13. घोषणा:

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में एनएचआई के निर्देशों को पढ़ लिया है/हमें पढ़कर सुनाया गया है और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि स्क्राइब की योग्यता सही ढंग से उल्लिखित है और स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो मैं (उम्मीदवार) पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावे खो दूंगा।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि यदि अन्यथा पाया जाता है तो हम दोनों की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- iv) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

ऊपर दिए गए बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

ऊपर दिए गए बॉक्स में लेखक के बाएं अंगूठे का निशान

निरीक्षक के हस्ताक्षर

